संख्या–3316/1–10–2018–12(34)/03 टीसी–1

प्रेषक

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, फर्रूखाबाद,
गाजीपुर, बरेली, ललितपुर, लखनऊ, शामली, बदायूँ
गोरखपुर, मथुरा, फिरोजाबाद एवं सोनभद्र।

राजस्व अनभाग–10 लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2018

विषय– वर्ष 2018–2019 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018–2019 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के लिए धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या–32–7/2014– एन0डी0एम0–1, दिनांक 08.04.2015 द्वारा जारी गाईड लाइन के आइटम नं0–3 (क) के प्राविधान–प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मडीकल केयर, इटीसी फार पीपुल अफेक्टेड इवैकुवेशन, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्प्स के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0–3,13,36,000/–की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रम संख	जनपद का नाम पत्रांक व दिनांक	कम्बल क्रय किए जाने हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये में)	अलाव जलाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये में)	जनपद हेतु कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4	5 (3+4)
1	आगरा, पत्रांक–23 दिनांक–26.12.2018	30,00,000	3,00,000	33,00,000
2	चित्रकूट, पत्रांक–1156 दिनांक–27.12.2018	8,80,000	80,000	9,60,000

Scanned by CamScanner

3	लखीमपुर खीरी, पत्रांक–315 दिनांक–27.12.2018	33,21,000	–––	33,21,000
4	फर्रूखाबाद, पत्रांक–745 दिनांक–22.12.2018	15,00,000	1,30,000	16,30,000
5	गाजीपुर, पत्रांक–1680 दिनांक–26.12.2018	35,00,000	–––	35,00,000
6	बरेली, पत्रांक–574 दिनांक–13.12.2018	30,00,000	–––	30,00,000
7	ललितपुर, पत्रांक–764 दिनांक–26.12.2018	–––	2,50,000	2,50,000
8	लखनऊ, पत्रांक–206 दिनांक–26.12.2018	25,00,000	2,50,000	27,50,000
9	शामली, पत्रांक–1479 दिनांक–27.12.2018	15,00,000	–––	15,00,000
10	बदायूँ, पत्रांक–500(1) दिनांक–27.12.2018	5,00,000	1,25,000	6,25,000
11	गोरखपुर, पत्रांक–481 दिनांक–26.12.018	35,00,000	3,50,000	38,50,000
12	मथुरा, पत्रांक–1867 दिनांक–25.12.2018	25,00,000	–––	25,00,000
13	फिरोजाबाद पत्रांक–1233 दिनांक–20.12.2018	25,00,000	1,50,000	26,50,000
14	सोनभद्र पत्रांक–2663 दिनांक–28.12.2018	15,00,000	–––	15,00,000
कुल योग		2,97,01000	16,35,000	3,13,36,000
रूपये तीन करोड़, तेरह लाख, छत्तीस हजार मात्र				

Scanned by CamScanner

2– उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रिसपांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06– स्टेट डिजास्टर रिसपांस फण्ड से व्यय–08–शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रिसपांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3– शासनादेश संख्या–3271/एक–10–2018–12(34)/03टीसी–1 दिनांक–19–11–2018 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम आडिट, प्रयागराज।
2– संबंधित मण्डलायुक्त।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5– संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
7–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner